Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)
स्वत्व वाद सं.– 171/2012 सी.आई.एस.क्र.– 171/2012
लक्ष्मी मंडल बनाम राम विलास मंडल

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
12.02.2026	वादी एवं प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06.02.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि यह वाद लक्ष्मी मंडल के द्वारा लाया गया है जो अत्यधिक वृद्ध हैं जिस कारण से सुनने एवं युक्तियुक्त उत्तर देने में असमर्थ हैं तथा वह साक्ष्य देने में असमर्थ हैं। अतः निवेदन है कि उनकी ओर से उनके पुत्र चन्द्र शेकर मंडल को साक्ष्य देने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये। प्रतिवादी के द्वारा उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी की ओर से कोई चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी दशा में वादी का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी लक्ष्मी मंडल के द्वारा यह वाद लाया गया है तथा वादी की ओर से उनके अधिवक्ता का कथन है कि वह अत्यंत वृद्ध होने के कारण सुनने में असमर्थ हैं जिस कारण से साक्ष्य देने में भी असमर्थ हैं। ऐसी दशा में वादी के उपरोक्त पुत्र के द्वारा वादी की ओर से साक्ष्य दिये जाने हेतु अनुमति की मांग की गयी है। वादी के आवेदन को न्यायहित में इस निर्देश के साथ **स्वीकृत** किया जाता है कि वादी के द्वारा वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं अन्य विधिक कारवाई किये जाने के संबंध में प्राधिकार पत्र निष्पादित कर प्रस्तुत किये जाने पर प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य दिये जाने एवं अन्य विधिक कारवाई किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 10.03.2026 वास्ते वादी साक्ष्य। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	